न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 1/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगणः–
पकाराम पुत्र जुजाजी, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का पुराना वास, सायला तहसील सायला जिला जालोर		1.गुगाराम पुत्र धुकारामजी जाति मेघवाल निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर 2.ललितकुमार पुत्र बाबुलालजी मेवाडा निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर 3. ग्राम पंचायत सायला जरिये सरपंच सायला जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत सायला, दिनांक 21.8.2018(पट्टा सं.1)

उपस्थिति :–
1-श्री प्रवीण सोलंकी, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री शंभूदान आसिया, अभिभाषक, अप्रार्थी सं.1 व 2 की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.10.2019

1. प्रार्थी के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पुराना मेघवालो का वास सायला का मूल निवासी है,अप्रार्थी सं.1–गुगाराम के नाम ग्राम पंचायत सायला द्वारा एक पट्टा दिनांक 21.8.2018 को राज. पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) को आधार बनाकर जारी किया है,जिसके उतर में–रास्ता भुजा 60 फीट, दक्षिण में–रास्ता भुजा,60 फीट, पूर्व में–आम रास्ता भुआ 47 फीट,पश्चिम में–भदाराम /जुआरजी मेघवाल भुजा 47 फीट है, जिसका क्षैत्रफल 313.33 वर्गगज अर्थात् 2820 वर्गफीट है, अप्रार्थी सं.3–ग्राम पंचायत सायला द्वारा पट्टा जारी करते समय मौके पर जाकर अप्रार्थी सं.1 की वास्तविक कब्जासुदा प्लॉट के नाप व पडौस की बिना जांच किये अप्रार्थी सं.1 के कहने के अनुसार मिलावट कर

जारी कर दिया है, ,उक्त पट्टे के पडौस दक्षिण दिशा में रास्ता बताया गया है जबकि वास्तविक स्थिति में मौके पर दक्षिण दिशा में रास्ता नही है, उक्त प्लॉट के दक्षिण दिशा में सक्तानी परिवार के पुश्तैनी मकान आये हुए है तथा पुश्तैनी परिवार का सुंधामाता का मंदिर है जो मंदिर उनका निजी है,मंदिर व मकानों के बाहर की तरफ सक्तानी परिवार का ही निजी लोहे का गेट लगा हुआ है। उक्त दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का आम रास्ता नही है,उक्त पट्टे में भुजाओं का नाप जो बताया गया है वह मौके पर मौजूद नही है, उक्त भू खण्ड का मौके पर वास्तविक नाप इस प्रकार है कि पूर्व दिशा वाली भुजा 42 फीट, पश्चिम वाली भुजा 37 फीट, उतर व दक्षिण दिशा वाली भुजा क्रमशः 55 फीट है,उक्त पट्टे के उतर व दक्षिण की भुजाओं को मौके पर यदि नापा जाता हैं तो पट्टे के अनुसार भुजा 60फीट है जो आम रास्ते के अन्दर आती है,जबकि मौके पर 55 फीट का ही भूखण्ड है,अप्रार्थी सं.2 द्वारा उक्त भूखण्डपर निर्माण चालू करने व दक्षिण दिशा में गेट का निर्माण करने के लिए दीवार बनाने पर , प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को मना किया तब अप्रार्थी सं.2 द्वारा प्रार्थी को बताने पर कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी से जरिये बैचान नामें के खरीद लिया है तथा उक्त बैचाननामा पट्टे के आधार पर किया गया है, इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा पट्टे की नकल मांगी जो दिनांक 19.1.2019को मिली , जानकारी व नकल प्राप्ति की तारीख से निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत है, अतः ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी पट्टा सं. 1दिनांक 21.8.2018 व संकल्प सं. 2(।।।) दिनांक 20.8.2018 को निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथां फहरिस्त के साथ पट्टा सं.1,प्रस्ताव आदि की प्रमाणित प्रति पेश की,इस पर निगरानी प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी के निगरानी प्रार्थनापत्र पत्र का जवाब अप्रार्थी सं.1,2 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 26.9.19 को पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 के नाम जारी पट्टे में नाप व पडौस सही बताये है परन्तु नक्शे में परिशिष्ट–अ गलत रूप से बनाकर पेश किया हैं। ग्राम पंचायत सायला द्वारा पूर्णरूप से विधिवत् जांच कर मौका निरीक्षण कर अप्रार्थी सं.1 के नाम भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है जो सही है,पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर मौका निरीक्षण कर पट्टा जारी की अनुशंसा की जिस पर ग्राम पंचायत सायला द्वारा अप्रार्थी सं.1 को पट्टा जारी किया गया है जो सही व विधि सम्मत् है,

प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.2 जो कि प्रार्थी की जाति से भिन्न जाति का व्यक्ति है , को खरीदसुदा प्लोट से बेदखल करने के लिए तंग व परेशान करने हेतु यह सारी कार्यवाही की है, मौके पर अप्रार्थी सं.2 को अपने खरीदसुदा प्लोट में सही निर्माण करने से भी रोगा गया तथा प्रार्थी व उसके बंधू–बांधुओ ने मिलकर अप्रार्थी सं.2 की खरीदसुदा भूमि के पांच फुट भाग जो दक्षिण दिशा की तरफ था,छोडना पडा, अप्रार्थी के उतर दिशा में पडौसी प्रार्थी के भाई बंध लालाराम पुत्र पीथाजी मेघवाल को भी ग्राम पंचायत द्वारा सन् 2013 में पट्टा जारी किया गया उसमें भी पट्टे की लम्बाई 60 फुट है, अप्रार्थीगण व लालाराम के पट्टे की भूमि की बाउण्ड्री लाईन एक सीध में है,रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी को कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं.1 के नाम जारी पट्टा दिनांक 21.8.2018 की जानकारी शुरू से ही रही है परन्तु उक्त प्लॉट अप्रार्थी सं.2 द्वारा खरीद करने पर उसे अपने बीच में से भगाने हेतु यह कार्यवाही प्रार्थी अपने परिवारजनों से मिलकर कर रहा है, प्रार्थी को जानकारी होने के बावजूद अप्रार्थी सं.1 के नाम जारी पट्टे को निरस्त करवाने हेतु कार्यवाही नही की है।अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया व बताया कि अप्रार्थी सं.1 की मौके पर पट्टे के अनुसार कब्जासुदा भूमि नही है तथा न ही मौके पर पट्टे मे दर्शाये नाप व पडौस है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी पट्टा सं.1 दिनांक 21.8.18 व प्रस्ताव सं.2(।।।)दिनांक 20.8.18को निरस्त करावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1,2 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 के नाम जारी पट्टे के नाप व पडौस सही बताये गये है, परन्तु नक्शा परिशिष्ट–अ गलत रूप से बनाकर पेश किया है। ग्राम पंचायत सायला ने पूर्ण रूप से विधिवत् जांच कर मौका निरीक्षण कर अप्रार्थी सं.1 के भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत सायला के पट्टे से सबंधित कार्यवाही के रेकर्ड का अवलोकन किया गया ,पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)के तहत् जारी किया गया है। राज.पंचायती राज

नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है,नियम 157 (1) के अनुसार "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः—

(1) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल :

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व , पचास वर्षो से अधिक =100/—रूपए पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(ख) (31 दिसम्बर 2016 से ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान्) =200/—रूपए संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(।।) उपर्युक्त खण्ड (1)में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम ,2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उपखण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

(2) ऐसे परिवार , जिनके पास कही भी कोई गृह या गृह—स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी—झोंपडी /कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमियों का पट्टा (प्ररूप 23—ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

ग्राम पंचायत सायला ने अप्रार्थी सं.1 का संनिर्मित पुराना गृह होने के समर्थन में कोई सबूत नहीं लिये और न ही आवेदक ने कोई सबूत इस आशय के प्रस्तुत किये कि नियम लागू होने की तिथि से पूर्व 50 वर्षो के दौरान् उसका मकान बना हुआ है? अथवा 31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान् उसका मकान बना हुआ है? अप्रार्थी सं.1 को जारी पट्टा का क्षेत्रफल 330.33 वर्गगज है,जो 300 वर्गगज से अधिक होने से अधिक क्षेत्रफल 33 वर्गगज पर राजस्थान स्टाम्प नियम,2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत लिया जाना चाहिये था जो भी नहीं लिया गया है।

उक्त नियम 157(1) के तहत् ग्राम पंचायत 1996 से पूर्व निर्मित भवन का पट्टा जारी कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत सायला के कार्यवाही रेकर्ड तथा अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में निस्तारित किया गया लिखित प्लोट बैचाननामा दिनांक 31.8.2018(दस्तावेज सं. 201803438101599) के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत सायला द्वारा खाली प्लोट का पट्टा सं.1दिनांक 21.8.2018 धारा 157(1) के तहत् जारी किया गया है जो विधि अनुसार नहीं कहा जा सकता।

आदेश

प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सायला के संकल्प सं. 2(।।।)दिनांक 20.8.2018 व पट्टा सं. 1 दिनांक 21.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सायला का संकल्प सं. 2(।।।) दिनांक 20.8.2018 व अप्रार्थी सं.1 गुगाराम पुत्र धुकाराम के पक्ष में पट्टा सं. 1 दिनांक 21.8.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 17:28:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: